प्रेस विज्ञप्ति

20.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई जोनल कार्यालय ने 17/02/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एस. शंकर के नाम पर पंजीकृत 3 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 10.11 करोड़ रुपये (लगभग) है।

ईडी ने 19 मई 2011 को 13वें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, एग्मोर, चेन्नई के समक्ष एस. शंकर के खिलाफ आरूर तमिलनाडुन द्वारा दायर शिकायत के आधार पर जांच शुरू की (सीसी संख्या 2067/2011)। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एस शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म एंथिरन (रोबोट) की कहानी, आरुर तमिलनाडु द्वारा लिखित जिगुबा नामक कहानी से कॉपी की गई थी, जिससे एस शंकर कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और आईपीसी, 1860 के तहत उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।

ईडी जांच से पता चला है कि एस शंकर को कहानी विकास, पटकथा, संवाद और निर्देशन सहित एंथिरन में उनके बहुमुखी योगदान के लिए 11.5 करोड़ रुपये का पर्याप्त पारिश्रमिक मिला था। इसके अलावा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) की एक स्वतंत्र रिपोर्ट ने कहानी जिगुबा और फिल्म एंथिरन के बीच उल्लेखनीय समानताओं की पहचान की। यह रिपोर्ट, जिसमें कथा संरचना, चरित्र विकास और विषयगत तत्वों की जांच की गई, शंकर के खिलाफ साहित्यिक चोरी के आरोपों को महत्वपूर्ण समर्थन देती है।

उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर, यह निर्धारित किया गया है कि एस. शंकर ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 का उल्लंघन किया है - एक उल्लंघन जिसे अब पीएमएलए, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आगे की जांच जारी है।